न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 54 / 2023

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री आकाश कुमावत पुत्र श्री कैलाश कुमावत (मालिक / विक्रेता), मैसर्स श्री शिवांश पिज्जा चीज, जनाना अस्पताल 2 नम्बर गेट के सामने, माकड़वाली रोड, अजमेर जिला अजमेर।
निवास – लुहारों का मौहल्ला, माकड़वाली, अजमेर जिला अजमेर

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री आकाश कुमावत

–: आदेश :–

दिनांक– **15.04.2026**

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पिज्जा चीज का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जाँच हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन (द्वितीय अपील), द्वितीय अपील की जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.10.2022 को 03:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स शिवांस पिज्ज चीज, जनाना अस्पताल, 2 नम्बर गेट के सामने, माकड़वाली रोड अजमेर जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री आकाश कुमावत मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए 700 किलोग्राम पिज्जा चीज आम जनता कों विक्रय हेतु रखी हुई मिली। उक्त पिज्जा चीज में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 800 ग्राम पिज्जा चीज रू. 240/— रूपयें श्री आकाश कुमावत को नगद देकर गवाह श्री सल्लूदीन के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री आकाश कुमावत को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पिज्जा चीज को चार साफ खुली प्लास्टिक की बोतल में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में 16—16 बूंद फार्मेलीन की डालकर एयर टाइट ढक्कन लगाकर चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए—3478 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वासथ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक मुचिअ/एफएसएसए/2022/11132 दिनांक 24.11.2022 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1259/एक्ट/2022/1120 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पिज्जा चीज असुरक्षित (अनसेफ) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जाँच हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी द्वारा नमूने का द्वितीय भाग, जाँच हेतु रैफरल लैब, मैसूरू को भिजवाया गया। रैफरल फूड लैब, मैसूरू से प्राप्त जाँच रिपोर्ट क्रमांक 53एफ/एफएसएसए/2023 दिनांक 21.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पिज्जा चीज अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 18.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनाक 23.01.2025 को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री आकाश कुमावत ने उपस्थित होकर मौखिक कथन किया कि वे उक्त फर्म पर विक्रेता के रूप में कार्य करते है तथा फर्म का मालिक अन्य व्यक्ति है। उन्होने यह भी निवेदन किया कि उनके द्वारा पिज्जा चीज का निर्माण नहीं किया जाता है तथा अन्यत्र से खरीदा जाता है। अप्रार्थी के मौखिक कथन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से फर्म के खाद्य अनुज्ञा धारक व्यक्ति तथा श्री आकाश कुमावत से उनके सम्बन्ध बाबत वस्तुस्थिति रिपोर्ट चाही गयी। स्मरण पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी ने पुनः पेश होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि खाद्य अनुज्ञा पत्र श्री रामनिवास प्रजापत के नाम से जारी है, परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, जिस कारण से उन्हें प्रकरण के निस्तारण के लिए बार—बार न्यायालय में आना पड़ रहा है तथा मानसिक परेशानी भी हो रही है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे तथा जो भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया जायेगा, उसकी पालना की जायेगी।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पिज्ज चीज में Moisture, Milk fat on dry basis, RV of extracted fat निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक (फूड प्रोडक्ट स्टेण्डर्ड तथा फूड एडिटिव) मानक 2011 के विपरीत होने से उक्त पिज्ज चीज अधिनियम की धारा 3(1)(a)(zx) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर कुल रु. **25,000/– (पच्चीस हजार)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 15.04.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/1634-37 दिनांक : 20/4/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री आकाश कुमावत पुत्र श्री कैलाश कुमावत (मालिक/विक्रेता), मैसर्स श्री शिवांश पिज्जा चीज, जनाना अस्पताल 2 नम्बर गेट के सामने, माकड़वाली रोड, अजमेर जिला अजमेर।
   निवास – लुहारों का मौहल्ला, माकड़वाली, अजमेर जिला अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर